न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—243/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार
2. प्रदीप कुमार जाखड़ पुत्र जीतराम

जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

—वादीगण

बनाम

1. रामकुमार
2. जीतराम

पुत्रगण अमीचन्द जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

3. पूनम पुत्री रामकुमार
4. कान्ता पुत्री जीतराम

जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

5. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैक शाखा संगरिया (डिलीट)
6. शाखा प्रबन्धक ऑरियण्टल बैक ऑफ कॉमर्स शाखा संगरिया
7. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री राजेश बुढानिया — वकील वादीगण
2— श्री मनीराम सहू— वकील प्रति सं. 1 ता 4
3— श्री अनिल कुमार चोयल— वकील प्रति.सं. 5

निर्णय दिनांक :— 19.08.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी स. 1 व 2 के नाम से चक नं. 10 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं. 3/4 ज. सं. 2069—2072 में खाता अमीचन्द वगैरा मे 6.072 है.कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण स.1 ता 4 की विरास्तन प्राप्त भूमि है, उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 का प्रतिवादी स.1 व 2 के बराबर ब.हि.ब का हक व हिस्सा जन्म से बनता है, वादी स. 01 का प्रतिवादिया स. 3 का सगा भाई है व प्रतिवादी स.1, वादी स.1 व प्रतिवादी स. 3 के पिता है। वादी स.02 व प्रतिवादी स. 4 आपस मे सगे भाई —बहिन है। प्रतिवादी स 2 वादी स. 02 व प्रतिवादी स. 4 के पिता हैं। प्रतिवादी स. 3 ने अपने हक व हिस्से की भूमि का परित्याग वादी स. 1 व प्रतिवादी स. 1 के पक्ष मे ब.हि.ब के हिसाब से कर दिया है व प्रतिवादी स. 4 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादी स. 02 व प्रतिवादी स. 2 के पक्ष मे ब.हि.ब के हिसाब से कर दिया है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी स. 1

व 2 के नाम दर्ज भूमि 6.072 है. मे से 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार धोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार हैं।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि प्रतिवादी स. 1 व 2 के नाम चक नं. 10 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं. 3/4 की 6.072 है. कृषि भूमि मे से 1/2 ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे, किन्तु बाद मे दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व वादीगण की बात मानने से कतई इंकार हो गये है। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। प्रतिवादी संख्या 6 बैंक की ओर से व प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसके साथ एक्सीस बैक शाखा संगरिया द्वारा रहन फक होने का प्रमाण पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 5 एक्सीस बैक संगरिया नाम डिलीट करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 5 का नाम अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकृत किया जाता है व प्रस्तुत बैंक एनओसी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 का नाम दावा के शीर्षक से नाम डीलीट किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी समेस्ता व प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी सलवन्ती के सहमति के शपथ–पत्र मय आईडी की प्रतियों के पेश किया गया जिन्हे शामिल मिसल किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत नाथवाना की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 रामकुमार का वारिसनामा व प्रतिवादी संख्या 2 का वारिसनामा जारी है की प्रमाणित चित्रप्रतियां प्रस्तुत की है।वकील वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 नरेन्द्र कुमार की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। पैतृक सम्पति साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से चक 10 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 3/4 में दर्ज नामान्तरण संख्या 627 जीतराम,रामकुमार पिसरान अमीचन्द के नाम की प्रमाणित चित्रप्रति पेश की है। इसके अलावा माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 81/2016 बअनवानी हसंराज आदि बनाम अमीचन्द आदि निर्णय दिंनाक 02.05.2016 की फोटो प्रति पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक नं. 10 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 3/4 में प्रतिवादीगण के नाम से 6.072 है. आराजी पैतृक सम्पति है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक नं. 10 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 3/4 में नामान्तरण संख्या 627 की चित्रप्रति पेश की है तथा इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा स्व.पेमाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में आराजी दर्ज थी जिसकी माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 81/2016 बअनवानी हसंराज आदि बनाम अमीचन्द आदि निर्णय दिंनाक 02.05.2016 की फोटो प्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत नाथवाना से जारी वारिसान तस्दीक के आधार पर वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से चक नं. 10 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं. 3/4 ज.सं. 2069–2072 में 6.072 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 10 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 3/4 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज नामान्तरण संख्या 627 की प्रति से वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना प्रमाणित है। इसके अलावा प्रकरण संख्या 81/2016 बअनवानी हंसराज आदि बनाम अमीचन्द आदि निर्णय दिंनाक 02.05.2016 की चित्रप्रति पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस

में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर प्रतिवादी स. 1 व 2 के नाम से चक नं. 10 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं. 3/4 ज. सं. 2069–2072 मे दर्ज कुल 6.072 है. कृषि भूमि मे से वादीगण को 3.036 है. आराजी का ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित जाता है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 3.036 है. हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादीगण के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–243/2019

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार
2. प्रदीप कुमार जाखड़ पुत्र जीतराम

जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

–वादीगण

बनाम

1. रामकुमार
2. जीतराम

पुत्रगण अमीचन्द जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

3. पूनम पुत्री रामकुमार
4. कान्ता पुत्री जीतराम

जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

5. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैक शाखा संगरिया (डिलीट)
6. शाखा प्रबन्धक ऑरियण्टल बैक ऑफ कॉमर्स शाखा संगरिया
7. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश कुमार बुडानिया वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से चक नं. 10 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं. 3/4 ज. सं. 2069–2072 में दर्ज कुल 6.072 है.कृषि भूमि मे से वादीगण को 3.036 है. आराजी का ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित जाता है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 3.036 है. हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादीगण के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.08.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.27 12:03:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: